शीर्ष प्राथमिकता / बजट 2012–2013
संख्या : बी–1–546 / दस–2012–12(2) / 2012

प्रेषक,

वृन्दा सरूप
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 20 मार्च, 2012

विषय : वित्तीय वर्ष 2012–2013 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किया जाना ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2012–2013 के प्रथम चार माह के लिये विधान मण्डल से लेखानुदान पारित कराया गया है, जिसमें मुख्यतः वचनबद्ध व्यय एवं चालू योजनाओं के लिए प्रावधान है । लेखानुदान की अवधि 31 जुलाई, 2012 को समाप्त हो जायेगी, इससे पूर्व ही वित्तीय वर्ष 2012–2013 का बजट विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाना व पारित होना आवश्यक है ।

2– इस सम्बन्ध में ज्ञात रहे कि प्रशासकीय विभागों से बजट अनुमानों / व्यय की नई मदों के प्रस्तावों के प्राप्त होने पर वित्त विभाग में परीक्षण तथा संकलन, माननीय मंत्रिपरिषद् के आदेश प्राप्त करते हुए बजट अनुमानों को अन्तिम रूप देने, महामहिम श्री राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करने एवं बजट साहित्य के मुद्रण आदि कार्यवाहियाँ की जाती हैं, जिसमें लगभग एक माह का समय लगता है । विधान मण्डल में बजट के प्रस्तुतीकरण से लेकर बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदानवार मांगों पर चर्चा एवं विनियोग विधेयक के पारण की कार्यवाही भी समयबद्ध की जानी अपेक्षित होती है ।

3– बजट अनुमानों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में बजट मैनुअल के पैरा 28, 31, 77 एवं 78 में विस्तृत व्यवस्था दी गयी है, जिनको संज्ञान में लेते हुए अनुमान तैयार किये जाने हैं । इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का भी ध्यान रखना अनिवार्य है ताकि प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमान यथार्थपरक निर्धारित हों ।

4– प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–2013 के बजट अनुमानों के निर्धारण में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है :

(1) विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करने में नई सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाय । इससे जहाँ एक ओर पूर्व प्रेषित अनुमानों में संशोधन किये जाने होंगे वहीं 'व्यय की नई मदों' के प्रस्ताव बजट में तद्नुसार सम्मिलित किये जाने होंगे । अतः इस सम्बन्ध में आवश्यकता का सही आंकलन कर सक्षम स्तर से अनुमोदन लेते हुए बजट प्रस्ताव तैयार किये जायं ।

(2) आयोजनागत पक्ष के समस्त प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित बजट प्रस्ताव, नियोजन विभाग / समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित हैं तथा उनके द्वारा जारी परिव्यय फ्रेंट के अन्तर्गत समायोजित हों ।

(3) वित्तीय वर्ष 2012–2013 बारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होगा । अतः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की ऐसी योजनायें जो इस वर्ष (वर्ष 2011–2012) में पूरी हो जायेंगी,

उन्हें समाप्त किया जाये और आवर्तक व्यय वाली योजनाओं में वचनबद्ध व्यय के लिये प्रावधान, वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक में आयोजनेतर व्यय के रूप में किया जायेगा । वित्तीय वर्ष 2011–2012 की आयोजनागत योजनाओं के सामान्यीकरण (नार्मलाइजेशन) के सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–10(4)/35–आ–1/2011–97 दिनाँक 31 अक्टूबर, 2011 में जारी आदेशों / दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

(4) ऐसी केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए बजट व्यवस्था न करायी जाय, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया हो । यदि इन योजनाओं को राज्य सरकार की योजना के रूप में चलाया जाना आवश्यक पाया जाता है, तो नई योजना के रूप में सक्षम स्तर से स्वीकृति लेकर ही चलाया जाये ।

(5) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की ऐसी परियोजनाएं जो पूरी नहीं हो पायी हैं, के अधिनीत व्यय (स्पिल ओवर एक्सपेंडिचर) को बारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–2017) में आयोजनागत में सम्मिलित किया जाय ।

5– इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों का ध्यान वित्त विभाग के बजट सर्कुलर संख्या–बी–1–2986/दस–2011–12(2)/2012 दिनाँक 07 अक्टूबर, 2011 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिये विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया बजट में सम्मिलित किये जाने वाले अपने सभी प्रस्ताव दिनाँक 20 अप्रैल, 2012 तक अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें । यहाँ यह कहना आवश्यक है कि बजट पारित करने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जानी है, इसीलिए विलम्ब से प्राप्त प्रस्तावों को वित्त विभाग द्वारा ग्रहण करना सम्भव नहीं हो पायेगा ।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : बी–1–546(1)/दस–2012–12(2)/2012, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन ।
6 समाज कल्याण आयुक्त / प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8 वित्त विभाग के समस्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
9 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बी.एम.जोशी)
सचिव, वित्त ।